हुक्म या कार्यवाहीमदइनाशियुल्स	अहकामजोइ की तामीलमेंजारी
श्रीमती म.1 जगदीश देवी T-9	
21/1/19 वकील फरीकैन उपस्थित/ पुनर्स्थापना बहस हेतु दिनांक 27/2/19 को पेश हो।	
27/2/19 वकील फरीकैन उपस्थित/ पुनर्स्थापना बाबत जवाब दि० 13/3/19 को पेश हो/ जवाब को अंतिम अवसर है।	
13/3/19 वकील फरीकैन उप०/ प्रार्थी सं. 1, 2 व 3 की ओर से जवाब पेश/ किया जिसकी नकल दिलाई गई/ पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/4/19 को पेश हो।	
3/4/19 वकील फरीकैन उप०/ बहस सुनी गई/ पत्रावली वास्ते आदेश दि० 16/4/19 को पेश हो/	
16/4/19 वकील फरीकैन उप०/ प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को मुताबिक फैसला हाजा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है/ विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया/ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो तथा शामिल हवाला रहे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
21/17	अस्थायी निषेधाज्ञा	19.07.17	16.04.19

1. रूपन्ती पत्नि हरिचरण आयु 50 साल।
2. धीरज कुमार पुत्र हरिचरण आयु 23 साल।

जाति मीना निवासी थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश आयु 32 साल।
2. श्रामराज आयु 29 साल। पिसरान परसादी
3. राजन्ती पत्नि परसादी आयु 65 साल।

सभी जाति मीना निवासी थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील प्रार्थीगण।

श्री विष्णु शर्मा वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 306 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 343 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम थूमा तहसील सपोटरा मे स्थित है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 3 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है और प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 3 जमीन पर वाहिद वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। जगदीश, रामराज व राजन्ती का इन जमीनों से किसी तरह का कोई ताल्लुक नही है। इन जमीनों को प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 3 अपने बाबा कन्हैया के समय से ही वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण ने कभी भी इस जमीन को काश्त नही किया है। गंगाधर का भी इस जमीन से कोई ताल्लुक नही था। परसादी रामजीलाल पिसरान गंगाधर ने सैटिलमेंट विभाग वालों से मिलकर गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से जमीन मे 1/2 हिस्से मे अपना नाम दर्ज करा लिया जिसका हमे जानकारी थी। प्रार्थीया नं0 1 के पति प्रार्थी नं0 2 व अप्रार्थी नं0 3 के पिता हरिचरण हम धीरज व जीराम को छोटे छोटे छोडकर मरे थे और मुझ प्रार्थीया ने विवादित जमीनों को काश्त करके व मेहनत मजदूरी करके धीरज व जीतराम को पाला है। दिनांक 17.07.2017 को अप्रार्थीगण ने हम प्रार्थीगण को धमकी दी कि हमारे नाम जमीन मे 1/2 हिस्सा है और जमाबंदी मे उसका इन्द्राज है हम लट्ठ वालों व्यक्ति को इन जमीनों को बेच देगें। इसके द्वारा तुम्हे जमीने से बेदखल करेगें और तुम्हे जमीन को काश्त नही करने देगें। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आराजीयात के बाबत् हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 3 जीतमल व सूकी बेवा रेखा के विरूद्व माननीय न्यायालय मे दावा बाबत् बंटवारा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश वगै0 बनाम सूकी वगैरहा मय स्थगन दर0 के प्रस्तुत कर रखा है, जिस दावा का मुकदमा नं0 37/2015 एवं स्थगन दर0 का मुकदमा नं0 ...../2015

Scanned by CamScanner

है जो दावा मय स्थगन दर0 के माननीय न्यायालय मे आज भी दरे तब्दीज है जिसमे तारीख पेशी 13.03.2019 है। उस वाद पत्र मे प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा भी उनके वकील द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है, जिस जवाब दावा मे प्रतिवादीगण की ओर से कोई काउन्टर क्लेम वगैररहा बाबत् घोषणा खातेदारी इन्द्राजात संपूर्ण आराजीयात के सन्दर्भ मे पेश नही किया गया है। जिस जवाब दावा मे की गयी स्वीकृतियों को पलटने की बदनियति से उक्त उक्त उनवानी दावा जगदीश वगै0 बनाम सूकी वगै0 मय स्थगन दर0 के जरे तब्दीज होने के तथ्यों को एवं उसमें प्रस्तुत किये गये जवाब दावा के तथ्यों को छिपाते हुयें यह वाद पत्र मय स्थगन दर0 के वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय मे सन् 2017 मे तकरीबन दो वर्ष पश्चात् बिना किसी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए दर0 प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम थूमा तहसील सपोटरा सम्बत् 2070–73 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। सहखातेदारी की आराजीयात पर प्रत्येंक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष मे आंशिक साबित है। प्रार्थीगण के तथ्यों एवं अप्रार्थीगण के अभिकथन को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष मे आंशिक रूप से साबित है। इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम थूमा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 306 रकबा 12 बिस्वा, 343 रकवा 03 बीघा 07 बिस्वा के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner